संख्या-26/2015/क0नि0-4-791/11-2015-2(10)/2000

प्रेषक,

गीता मिश्रा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ::दिनांक 19 मई, 2015**

विषय:- सर्वश्री गुडअर्थ कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 सिटी सेन्टर मुजफ्फरनगर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय मुजफ्फरनगर के भवनों का किराया नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति-किराया/भ0प0-मुजफ्फरनगर-374-/12-13/264/ वाणिज्य कर, दिनांक-17 नवम्बर, 2014 एवं संख्या-सम्पत्ति-किराया/भ0प0-मुजफ्फरनगर-374-/14-15/376/ वाणिज्य कर, दिनांक-06 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर के वाणिज्य कर कार्यालय हेतु सर्वश्री गुडअर्थ कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 सिटी सेन्टर मुजफ्फरनगर स्थित भवन में उपलब्ध 15502 वर्ग फुट कारपेट एरिया को दिनांक-24 अप्रैल, 2012 से आगामी 05 वर्षों अथवा भवन रिक्त किये जाने तक जो भी पहले हो, की अवधि हेतु रू0- 14.00 (रूपये चौदह मात्र) प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया की दर से कुल रू0- 2,17,028.00 (रूपये दो लाख सत्रह हजार अट्ठाइस मात्र) प्रति माह एवं 516.75 वर्ग फुट कारपेट एरिया को दिनांक-01 जनवरी, 2014 से आगामी 05 वर्षों अथवा भवन रिक्त किये जाने तक जो भी पहले हो, की अवधि हेतु रू0- 14.00 (रूपये चौदह मात्र) प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया की दर से कुल रू0- 7,234.00 (रूपये सात हजार दो सौ चौंतीस मात्र) प्रति माह किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त प्रयोजन हेतु करार विलेख निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के स्थानीय प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व' के नामे डाला जायेगा।

4- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

भवदीया,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-26/2015/क0नि0-4-791/11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/मुख्य कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।

5- सर्वश्री गुडअर्थ कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, 84 भोपा रोड (दक्षिणी), नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।